ईओ एवं उसका दलाल दो लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

कनिष्ठ अभियंता मौके से फरार आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

दलाल रमेश चन्द सैनी।

अरूण कुमार शर्मा।

थानागाजी, (निसं)। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एस यू द्वितीय जयपुर इकाई द्वारा मंगलवार को थानागाजी में कार्यवाही करते हुए अरुण कुमार शर्मा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका थानागाजी एवं उसके दलाल रमेश चंद सैनी को परिवादी से 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की एस यू द्वितीय जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाए गए विभिन्न कार्यों के पूर्व में पास किए गए कुल 29 लाख रुपए के बिलों की कुल राशि के 14 फीसदी कमीशन के रूप में अरुण कुमार शर्मा अधिशासी अधिकारी ईओ नगर पालिका थानागाजी व भोला राम कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका थानागाजी द्वारा अपने दलाल रमेश चंद सैनी प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से 4 लाख 31 हजार रूपते की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। एसीबी एसयू द्वितीय जयपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस मांगीलाल,पुलिस निरीक्षक शिवराज सिंह एवं पुलिस निरीक्षक सुभाष मील की टीमों द्वारा ट्रेप की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई।

आरोपी भोलाराम कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका थानागाजी को एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ आवास तथा अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है।

एडीपीसी के लिए रिश्वत लेते प्रधानाध्यापिका गिरफ्तार

सायला के निकटवर्ती उम्मेदाबाद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एसीबी टीम ने कार्रवाई की।

सायला, (निसं)। जोधपुर एसीबी टीम ने मंगलवार को उम्मेदाबाद स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को तीन हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह रिश्वत की राशि एक शिकायत को बंद करवाने के नाम पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के लिए ली गई थी।

जानकारी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में बृजेश पत्नी लोकेश कुमार मीणा निवासी खेडला तहसील सपोटरा जिला करौली हाल तृतीय श्रेणी अध्यापिका व्यवस्थार्थ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय रामा पंचायत समिति आहोर ने परिवाद पेशकर बताया था कि वो पूर्व में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय उम्मेदाबाद में कार्यरत थी। उस दौरान प्रधानाध्यापिका खुशबू गहलोत ने उसकी एक शिकायत की थी। जिसको अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक चंद्रकांत रामावत से बन्द करवाने के लिए परिवादिया से प्रधानाध्यापिका गहलोत ने 3 हजार रुपये की मांग की थी। 2 सितम्बर 2022 को सत्यापन में भी मांग करते पायी गई।

सत्यापन के बाद एसीबी उपमहानिरीक्षक सवाईसिंह गोदारा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गासिंह राजपुरोहित के सुपरविजन में निरीक्षक मनीष वैष्णव मय टीम द्वारा मंगलवार को 3 हजार रुपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। साथ ही अपने मोबाइल से एडीपीसी रामावत को उनके लिए राशि लेने का कहना कबूला गया। वही इसके बाद एडीपीसी रामावत को भी गिरफ्तार कर लिया है।

मनीष वैष्णव, निरीक्षक एसीबी जोधपुर का कहना है कि शिक्षिका बृजेश मीणा से एक शिकायत बन्द करवाने के लिए तीन हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

राजे की बीकानेर यात्रा की कमान भाजपा संगठन के बजाय देवीसिंह भाटी के पास

देशनोक करणी माता मंदिर में दर्शन के साथ ही देहात और शहर में बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करने की योजना बन रही है

बीकानेर, (कासं)। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नौ अक्टूबर को बीकानेर आ रही हैं। यहां देशनोक करणी माता मंदिर में दर्शन के साथ ही देहात और शहर में बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करने की योजना बन रही है।

खास बात ये है कि वसुंधरा राजे की बीकानेर यात्रा की कमान शहर या देहात भाजपा के बजाय पूर्व मंत्री देवीसिंह भाटी के पास है जबकि स्वयं भाटी पहले ही भाजपा छोड़ चुके हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के समर्थक नेता एक महीने में दूसरी बार बीकानेर आये हैं। पहली और दूसरी दोनों बार उन्होंने स्थानीय भाजपा संगठनों से चर्चा करने के बजाय सीधे पूर्व मंत्री देवीसिंह भाटी से संपर्क किया है। यहां तक कि भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने भी अपने आने की सूचना संगठन को नहीं दी है। उनके साथ पूर्व मंत्री युनूस खान और राजपाल सिंह भी आये थे।

- राजे के समर्थक नेता पूर्व प्रदेशाध्यक्ष परनामी, पूर्व मंत्री युनूस खान एवं राजपाल सिंह भाजपा छोड़ चुके देवीसिंह भाटी से मिले

देहात भाजपा अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने बताया कि उन्हें न तो मीटिंग के बारे में जानकारी है और ना ही वसुंधरा राजे की प्रस्तावित यात्रा के बारे में। उधर शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि बीकानेर में आकर भी पूर्व अध्यक्ष परनामी भाजपा कार्यालय नहीं आये। अगर आ जाते तो हम उन्हें माला पहनाते और कार्यकर्ता भी खुश हो जाते। करीब बीस दिन पहले इन्हीं तीन नेताओं ने देवीसिंह भाटी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। तब घटनाक्रम के बारे में किसी को पता नहीं चला। इस बार भाटी के साथ देशनोक में सार्वजनिक मीटिंग की गई। देहात अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने कहा कि उन्हें राजे की यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए राजे बीकानेर से शुरूआत कर रही हैं। इससे पहले भी परिवर्तन यात्रा के दौरान भी राजे बीकानेर के देशनोक मंदिर आई थी। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी राजे ने करणी माता के दर्शन किए थे। देशनोक में मीटिंग के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष परनामी ने बताया कि नौ अक्टूबर को भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे देशनोक आयेंगी। यहां मंदिर में दर्शन के बाद बीकानेर में पूर्व विधायक गोपाल जोशी के निधन पर शोक व्यक्त करने उनके घर जायेंगी।

बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी की माताजी के निधन पर शोक जताने के लिए वसुंधरा उनके लालगढ़ स्थित आवास पर जायेंगी। माना जा रहा है कि बीकानेर में जूनागढ़ के पास नौ अक्टूबर को ही वसुंधरा राजे की जनसभा भी हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं की गई है।

भाजपा दिग्गज कटारिया की फिर बड़ी मुश्किलें

उदयपुर, (का.सं.)। पन्ना धाय प्रतिमा अनावरण समरोह में की गई विवादित टिप्पणी के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को उन्होंने वारी समाज से सार्वजानिक रूप से माफी मांग कर मामले का पटाक्षेप करने की बात कही थी लेकिन मंगलवार को उदयपुर में वाल्मिकी समाज के प्रतिनिधियों ने गोर्वधनविलास थाने पहुंचकर गुलाबचंद कटारिया और गिरधारी लाल सोनी के खिलाफ रिपोर्ट दी। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करेगी तो दलितों के सम्मान के लिए कोर्ट के माध्यम से कटारिया के खिलाफ कानूनी लड़ाई लडेंगे।

- रिपोर्ट लेकर थाने पहुंचा वाल्मीकि समाज

उल्लेखनीय है कि कटारिया ने बीतें दिनों गोवर्धनसागर पाल पर पन्नाधाय की मूर्ति अनावरण के मौके पर वाल्मिकी समाज के लिए असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से उनकी टिप्पणी का विरोध जारी है। अंबेडकर मेवाड़ पंचायत के बैनर तले अध्यक्ष पुष्कर चौहान के नेतृत्व में पदाधिकारी गोवर्धनविलास थाने पहुंचे। उन्होंने 30 अगस्त को दिए ज्ञापन मामले में एफआईआर दर्ज की मांग की। इसके बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। थाने पहुंचे बाबूलाल गावरी ने बताया कि गुलाबचंद कटारिया की असंवैधानिक टिप्पणी से वाल्मिकी समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हैं।

वाल्मिकी पदाधिकारियों ने कहा कि कटारिया ने इस मामले में वारी समाज से तो माफी मांगी ली, लेकिन वाल्मिकी समाज के लिए एक शब्द तक नहीं लिखा। इससे लगता है कि कटारिया वाल्मिकी समाज को हीन दृष्टि से देखते हैं। इतने विरोध के बाद भी वे माफी तक नहीं मांगना चाहते हैं।

पांच मंदिरों के भगवान निकले नगर भ्रमण पर

जलविहार पर निकले भगवान का जगह-जगह स्वागत किया गया।

खाटूश्यामजी, (निसं)। कस्बे के प्रसिद्ध 5 मंदिरों के भगवान ने एक साथ नगर भ्रमण कर जलविहार किया। जलझूलनी एकादशी पर्व पर भगवान मंदिरों से पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हुए जलविहार करते हैं। गौरतलब है कि बाग वाले ठाकुरजी महाराज से पालकी प्रारंभ होती है, बिहारी दास जी मंदिर की पालकी,सीतारामजी का मंदिर, गोपीनाथजी मंदिर के पास आकर चार पालकियां कबूतर चौक बाजार स्थित राम लक्ष्मण मंदिर के पास एक साथ पांच मंदिरों के भगवान पालकी में विराजमान होते हैं।

गढ़वाली धर्मशाला, रेवाडी धर्मशाला, कानपुर धर्मशाला, श्री श्याम मित्र मंडल धर्मशाला में सभी भगवानों की विशेष पूजा-अर्चना व जल विहार कर कबूतर चौक पहुंच कर सभी अपने-अपने मंदिरों के लिए वापस रवाना हो जाती है। भगवान की पालकी के नीचे से छोटे बच्चों को निकालने के लिए होड़ मच जाती है। मान्यता है कि जो बच्चे भगवान की पालकी के नीचे से निकलते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के बाद जितनी भी बच्चे जन्म लेते हैं उनकी कुआं पूजन भी जलझूलनी एकादशी के दिन किया जाता है।

पुलिस और डीएसटी ने 30 लाख की शराब पकड़ी

जोधपुर, (कासं)। कमिश्ररेट की जिला पश्चिम पुलिस ने डीएसटी के साथ मिलकर रात को 30 लाख से ज्यादा की अवैध शराब का ट्रक पकडा है। ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है। ट्रक में 586 से ज्यादा अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे थे। पुलिस ने यह कार्रवाई सिरोही पुलिस की सूचना पर की है।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव ने बताया कि सिरोही पुलिस की तरफ से रात में डीएसटी को सूचना मिली कि शराब से भरा ट्रक जोधपुर की तरफ आया है। जिस पर डीएसटी प्रभारी एसआई मनोज कुमार, बोरानाडा

- सिरोही पुलिस की सूचना पर की डीएसटी ने कार्रवाई

थानाधिकारी किशनलाल आदि ने मिलकर नाकाबंदी की। इस पर एक ट्रक को रूकवा कर तलाशी ली गई। तब तिरपाल से ढके इस ट्रक में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब भरी हुई मिली। शराब कार्टन में अलग अलग ब्रांड की शराब मिली। 586 से ज्यादा कार्टन अंग्रेजी शराब के मिले। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ आरंभ की है। बरामद शराब तीस लाख से ज्यादा रूपए की है।

छज्जा गिरने से कुंड में गिरी दस महिलाएं, दो की मौत

हादसे के दौरान मची अफरा-तफरी, गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला

उदयपुर, (कासं)। शहर के देहलीगेट स्थित बाईजी राज के कुंड पर जलझूलनी एकादशी पर पास ही स्थित छज्जा गिरने से कुंड में जा गिरी। करीब दस महिलाएं कुंड में गिरी जिन्हें गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया जिनमें से दो की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम जलझुलनी एकादशी पर शोभायात्रा के दौरान बाईजीराज कुंड पर पहुंची यात्रा को देखने करीब नौ-दस महिलाएं कुण्ड के उपर बनी पुरानी दीवार पर चढ़ चढ़ कर भगवान की पूजा करने के लिए गई। इस दौरान दीवार का छज्जा गिर ने सभी महिलाएं कुंड में गिर गई और अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों से हादसे की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंची और महिलाओं को बाहर निकालने का रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान विमला मंत्री व सज्जन कुंवर की मौत हो गई। शेष सभी महिलाओं को बचा लिया गया लेकिन चोंट लगने से पांच से अधिक महिलाओं को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

सूचना पर जिला कलक्टर ताराचंद मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, एडीएम सीटी प्रभा गौतम, एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चन्द्रशील ठाकुर, पुलिस उप अधीक्षक तपेन्द्र मीणा, धानमंडी थानाधिकारी गोपाल चंदेल मौके पर पहुंची व हालात का जायजा लिया। ढही दीवार जिसका छज्जा गिरा वह पुरानी होकर झर्झर हो चुकी थी व उक्त दीवार पर जाने के लिए कुण्ड प्रशासन ने रोक लगा रखी थी। इसके बावजूद महिलाएं वहां पर चढ गई।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आठ सितम्बर को पैतृक गांव किठाना का दौरा

ट्रायल के लिए किठाना पहुंचे भारतीय वायु सेना के दो हेलीकॉप्टर

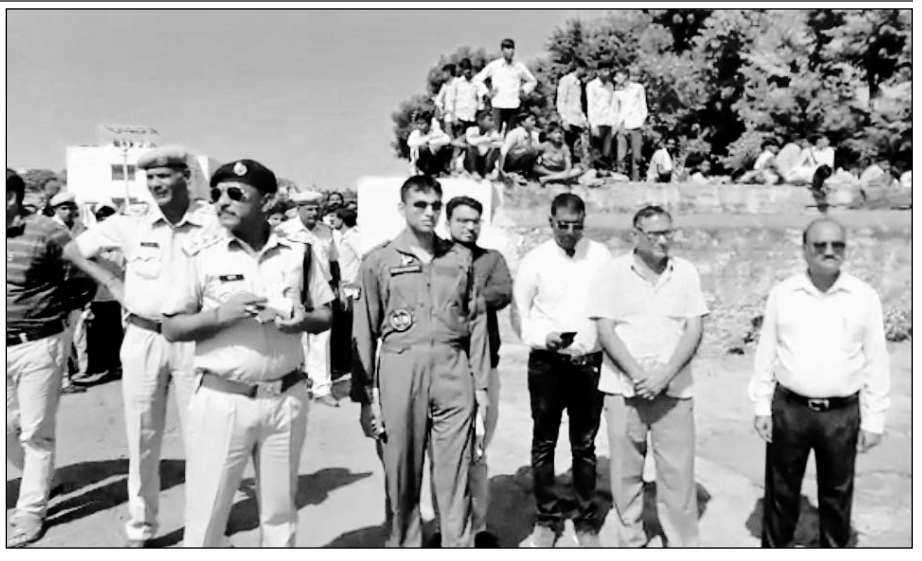

वायुसेना व पुलिस के अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया।

चिड़ावा/चूरू/खाटू, (निसं)। उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ के 8 सितम्बर को पैतृक गांव किठाना के दौरे की तैयारिया जोर-शोर से जारी हैं। मंगलवार को भारती वायु सेना के दो हेलीकॉप्टर ट्रायल के लिए किठाना के विद्यालय के खेल मैदान में बनाये गये हेलीपैड पर उतरे। हेलिकॉप्टर के साथ वायु सेना के जवान भी पहुंचे और वहां तैयारियो व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया व सुरक्षाकर्मियों ने रिहर्सल किया। सुरक्षाकर्मियों ने उप राष्ट्रपति के रुकने के सभी स्थानों को देखा, सुरक्षा के नजरिये से सभी रास्तों पर रिहर्सल किया। सेना के जवानों सहित दिल्ली से आए सुरक्षाकर्मियों ने उप राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल, हेलिपैड, जोड़िया धाम रोड समेत अन्य जगहों का जायजा लिया। विद्यालय के खेल मैदान में तैयार हो रहे हेलिपैड, स्कूल में नव निर्माण कार्य, मुख्य चौक में अभिनंदन स्थल का निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड टीम भी मौके पर तैनात रही। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर गांव में खुशी की लहर है। इस दौरान एसडीएम संदीप चोधरी, डिप्टी सुरेश शर्मा, किठाना सरपंच सुभिता धनखडसहित अन्य मौजूद थे।

उप राष्ट्रपति जगदीप धनकड़ गुरुवार को सालासर आएंगे। वे यहां बालाजी मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना करेंगे। एडीएम लोकेश गौतम ने बताया कि उप राष्ट्रपति जगदीप धनकड़ अपनी पत्नी डॉ सुदेश धनकड़ के साथ 8 सितंबर को दोपहर 12.15 बजे शोभासर हैलीपेड पहुंचेंगे। उसके बाद हेलीपैड से दोपहर 12.20 बजे रवाना होकर दोपहर 12.30 बजे सालासर बालाजी मंदिर पहुंचेंगे। दोपहर 12.30 बजे से 1 बजे तक सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन एवं पूजा.अर्चना करने के बाद सालासर बालाजी मंदिर से हैलीपैड पहुचेंगे। वहां से 1.15 बजे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से खाटू हेलीपेड के लिए रवाना होंगे।

गाड़ी में बेरहमी से भरी गायें, 17 की मौत

अलवर, (निसं)। बानसूर में पुलिस ने गायों से भरे एक गाडी को पकड़ा है। मिनी ट्रक में 25 गाय बडी ही क्रूरता के साथ भरी हुईं थी। जिसमें दम घुटने से 17 गायों की मौत हो गई। वहीं, ट्रक चालक सुनसान कच्चे रास्ते में गाडी छोड़कर फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार पुलिस को रात में सूचना मिली कि एक ट्रक में गाय भरकर बानसूर इलाके की तरफ आ रहा है। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। जिसके बाद मिनी ट्रक का ड्राइवर ट्रक को बहराम का बास गांव के पास शहीद बाबा मंदिर के पास लावारिस हालत में छोडकर फरार हो गए। वहीं, इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने गाडी को कब्जे में लेकर बानसूर के गिरधारी गौशाला में पहुंचाया गया। जिसमें दम घुटने से 17 गायों की मौत हो चुकी थी। वहीं बाकी गायों को गिरधर गौशाला भिजवाया गया है। बानसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि रात्रि को सूचना मिली कि एक मिनी ट्रक में गाय भरकर बानसूर की ओर आ रही है। वहीं पुलिस ने सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई थी। जिसके बाद ड्राइवर गाडी को छोडकर फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर गाडी को जप्त कर लिया। जिसमें 25 गाय ठूंस ठूंस कर भरी हुई थी। वहीं दम घुटने से 17 गाय की मौत हो चुकी है। बाकी सभी गायों को गिरधर गौशाला भिजवाया गया है। जिनका डॉक्टरों से ईलाज करवाया जा रहा है।

एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती में विषयों की बाध्यता हटाई

बीकानेर, (कासं)। शिक्षा विभाग के सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में एग्रीकल्चर विषय पढ़ाने के लिए लेक्चरर की भर्ती एक बार फिर अटक गई है। नियमों में पिछले दिनों फेरबदल किया गया, लेकिन भर्ती एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग अब शिक्षा विभाग के नए निर्देशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। परिणाम ये है कि राज्यभर में हजारों की संख्या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स नौकरी की दौड़ से फिर बाहर हो गए हैं।

एग्रीकल्चर में स्कूल लेक्चरर की भर्ती के लिए एग्रोनॉमी, होर्टिकल्चर और एनिमल हसबेंड्री में ग्रेजुएशन की बाध्यता है। इसके विपरीत एग्रीकल्चर में अन्य विषयों में ग्रेजुएशन करने वाले कैंडिडेट्स इस भर्ती से वंचित हो रहे थे। इस पर कैंडिडेट्स ने लंबा आंदोलन किया। न सिर्फ कैंडिडेट्स बल्कि यूनिवर्सिटी तक के लेक्चरर ने कहा कि स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ाने के लिए तीन विषयों तक बंधना गलत है। ऐसे में शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला के प्रयास से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपने पदों भर्ती के लिए सभी विषयों का रास्ता खोल दिया।

अब दस से बारह हजार बेरोजगार एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लेना आसान हो गया। भर्ती के लिए आरपीएससी के पास फाइल पहुंची। वहां से विज्ञापन जारी नहीं किया गया। शिक्षा ग्रुप (2) के संयुक्त शासन सचिव ने सरकार के स्तर पर निर्णय की जानकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दी। शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने सरकार के निर्णय से आरपीएससी को अवगत करा दिया, लेकिन आरपीएससी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। आरपीएससी इसके लिए योग्यता में पूरी तरह संशोधन की आवश्यकता जता रहा है। ऐसे में ये नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई है। तीन विषयों की बाध्यता हटने के बाद अन्य विषयों से जुड़े टीचर्स ने खुशियां मनाई। शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला और शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को धन्यवाद भी दिया लेकिन अब स्थिति फिर वही हो गई। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ने कहा- अगर समय रहते इस पर आरपीएससी ने सही निर्णय नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा।

- आरपीएससी अब शिक्षा विभाग के नए आदेशों को मानने को तैयार नहीं
- हजारों ग्रेजुएट्स नौकरी की दौड़ से बाहर हुए

राजस्थान सरकार वन विभाग
कमांक प.1 (71) वन/2021 जयपुर दिनांक 10.11.2021
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर
विषय: Diversion of 0.126 ha. Of Forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. for laying Under ground OFC along Road ROW from Village Rathora to Rajol, Tehsil- Semari, District Udaipur Rajasthan (FP/RJ/OFC/45826/2020)
संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (409/37)2020/एफसीए/प्रमुवस /2690 दिनांक 23.9.2021
महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.126 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों एवं नवीन निर्देश दि. 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.126 ha. Of Forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. For laying Under Ground OFC along Road ROW from Village Rathora to Rajol, Tehsil- Semari, District- Udaipur Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान करती है:-
1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियो एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदुरो/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्य -रत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
10. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण मे सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारीयो को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
भवदीय,
(बी.प्रवीण) शासन सचिव

राजस्थान सरकार वन विभाग
कमांक प.1 (54) वन/2022 जयपुर दिनांक 1.6.2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर
विषय: Diversion of 0.0857 ha. Of Forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt.Ltd. for permission for laying Underground OFC in ROW of existing PWD Road from Paluna - Dhaul Ji ka Ghura from Lat/long point 24.308667/73.847714 to 24.316406 /73.860933 for total length 1.904 Km and area 0.0857 ha in forest in Udaipur District, Rajasthan (FP/RJ/OFC/44201/2020)
संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (384/36)2020/एफसीए/प्रमुवस /1530 दिनांक 29.4.2022
महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Jio Digital Fiber Private Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.0857 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों एवं नवीन निर्देश दि. 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.0857 ha. Of Forest land in favour of Jio Digital Fiber Pvt.Ltd. for permission for laying Underground OFC in ROW of existing PWD Road from Paluna - Dhaul Ji ka Ghura from Lat/ long point 24.308667/73.847714 to 24.316406/ 73.860933 for total length 1.904 Km and area 0.0857 ha in forest in Udaipur District, Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान करती है:-
1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियो एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदुरो/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दि. 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दि.7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी व अंग्रेजी मे प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र मे अक्षरश: प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारीयो को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
भवदीय,
(बी.प्रवीण) शासन सचिव